

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9102/2025

Shankarlal

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. SK Verma
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

09/09/2025

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने पीड़िता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान पेश करने के लिए समय चाहा, जो दिया जाता है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 की तामील नहीं हुई है।

विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 2 की तामील आईदा तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से करवाई जावे।

प्रकरण एक सप्ताह पश्चात सूचीबद्ध हो।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J